न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बरः– 194/2021
आर0सी0एम0एस0 :–2017/00012

निर्णय दिनांकः– 15.03.2022

1. मोहन लाल पुत्र सेडुराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)
2. सुनिता देवी पत्नी प्रभुदयाल जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)
3. सुमित्रा देवी पत्नी गोपालराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र मंगलाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)
2. छीतरमल पुत्र मंगलाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)
3. नारायणराम पुत्र मंगलाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0) (फौत)

3/1 बनारसी देवी पत्नी स्व0 नारायणराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

3/2 गोकुलचन्द पुत्र स्व0 नारायणराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

3/3 पूर्णमल पुत्र स्व0 नारायणराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

3/4 मूली देवी पुत्री स्व0 नारायणराम स्त्री नरसीराम हाल निवासी ढाणी सिरसूहाला तन तन झुन्झुनू रोड़ उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

3/5 गीगल देवी पुत्री स्व0 नारायणराम स्त्री सीताराम हाल निवासी ढाणी रावतावाली तन नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

3/6 केशरी देवी पुत्री नारायण स्त्री बाबूलाल हाल निवासी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

4. गोदाराम पुत्र मंगलाराम (फौत)

4/1 शांति देवी पत्नी स्व0 गोदाराम जाति [illegible] नम्बर नया 13 उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

4/2 पतासी देवी पुत्री स्व0 गोदाराम पत्नी [illegible] निवासी वार्ड [illegible] नया 34 उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:29:34 IST
Reason: SelfAttested

4/3 नाथूराम पुत्र स्व0 गोदाराम जाति माली निवासी श्यामीहाली की ढाणी कृषि उपज मण्डी के पास जयपुर रोड़ सीकर।

4/4 संतोष देवी पुत्री स्व0 गोदाराम पत्नी चौथमल सैनी निवासी देवीपुरा बणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

4/5 सोनी देवी पुत्री स्व0 गोदाराम पत्नी पप्पूराम सैनी जाति माली निवासी देवीपुरा बणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

4/6 सुरेश कुमार पुत्र स्व0 गोदाराम जाति माली निवासी कुआ बोहरावाली ढाणी तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झूनू।

4/7 ऑची देवी पुत्री स्व0 गोदाराम पत्नी दयालाराम सैनी जाति माली निवासी छाजणा स्टेण्ड के पास तन खण्डेला जिला सीकर।

4/8 सावत्री देवी पुत्री स्व0 गोदाराम पत्नी बनवारीलाल जाति माली निवासी छाजणा स्टेण्ड के पास तन खण्डेला जिला सीकर।

4/9 शंकरलाल पुत्र स्व0 गोदाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झूनू।

5. धूकलराम पुत्र भानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

6. जवाहर पुत्र भानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

7 मदन लाल पुत्र भानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

8 नन्दलाल पुत्र भानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

9 शंकर पुत्र भानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0) (फौत)

9/1 शारदा देवी पत्नी स्व0 शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

9/2 विक्रम कुमार पुत्र स्व0 शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

9/3 सुभाषचन्द पुत्र स्व0 शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

9/4 सुनिल कुमार पुत्र स्व0 शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

9/5 पिंकी कुमारी पुत्री स्व0 शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

9/6 सावित्री देवी पुत्री स्व0 शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

9/7 आची देवी पुत्री स्व0 शंकर जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:29:34 IST
Reason: SelfAttested

उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

10.सोहन पुत्र भानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

11. प्रभाती देवी पुत्री भानाराम पत्नी गणपतराम निवासी चौकडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

12. सेडुराम पुत्र भगवानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी

13. बोदुराम पुत्र भगवानाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी

14. दुर्गाराम पुत्र भगवानाराम (फौत)

14/1 रूकमा देवी पत्नी स्व0 दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

14/2 जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

14/3 बजरंगलाल पुत्र स्व0 दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

14/4 कमली देवी पुत्री स्व0 दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

14/5 केशरी देवी पुत्री स्व0 दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

14/6 सुशिला देवी पुत्री स्व0 दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

14/7 सजना देवी पुत्री स्व0 दुर्गाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरावाली कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

15. झुन्झुनू सहकारी बैंक शाखा गुढा गौड़जी जरिये शाखा प्रबन्धक

16. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि शाखा उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबन्धक

17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) की उपधारा 1 रा0 का0 अधिनियम बाबत नया रास्ता चाहने बाबत</u>

निर्णय दिनांक :–15.03.2022

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) की उपधारा 1 रा0 का0 अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि कस्बा उद[illegible] भूमि खसरा नम्बर नया 3040, 3041, 3042, 3043, 3056, 3059 का रकबा क्रमशः 0.24 है0, [illegible] .34 है0, 0.21 है0, 0.85 है0, 0.68 है0 कुल किता 6 खसरा नम्बरान की कुल [illegible] 2.72 है0 भूमि [illegible] है जिसमें कब्जा काश्त खातेदार आवेदक व अनावेदक नम्बर 5 लगायत 14 [illegible] भूमि खसरा नम्बर नया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:29:34 IST
Reason: SelfAttested

3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3060, 3062, 3410/3061 का रकबा क्रमशः 1.08 है0, 0.61 है0, 0.38 है0, 0.03 है0, 0.35 है0, 0.25 है0, 0.21 है0, 0.04 है0, 0.10 है0, 0.67 है0, 0.04 है0 की कुल भूमि 3.76 है0 भूमि स्थित हैं। जिसके कब्जा काश्त खातेदारी अनावेदक नम्बर 1 लगायत 14 की है। आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 14 अपनी अपनी कब्जे काश्त की भूमि का मौखिक बंटवारा कर रखा है और मौखिक बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त हैं। आवेदक व अनावेदक नम्बर 5 लगायत 14 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3040, 3041, 3042, 3043, 3056, 3059 में आवेदक व अनावेदक नम्बर 5 लगायत 14 के मौके पर मौखिक बंटवारा कर रखा है तथा मौखिक बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त हैं। आवेदक की मौखिक बंटवारा अनुसार भूमि खसरा नम्बर 3059 हैं जिसमें आवेदक रिहायशी कच्चा छान–छप्पर बना रखे है। आवेदक की कब्जा काश्त की भूमि के आस–पास कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। इसलिए आवेदक को नया रास्ता की अत्यावश्यकता हैं। आवेदक के पड़ौसी खातेदार भूमि खसरा नम्बर 3060 रकबा 0.10 है0 भूमि का कब्जा काश्त मौखिक बंटवारा अनुसार अनावेदक नं. 1 के पास है। जिससे होकर नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी स्थान 10 फुट चौड़ा रास्ता लेना चाहता है। जो सबसे सुगम स्थान है। नजरी नक्शा आवेदन पत्र के साथ सलंग्न है। जिसको आवेदन का भाग माना जावे। भूमिक खसरा नम्बर 3060 के पश्चिम में आम सड़क जो उदयपुरवाटी से शाकम्भरी जाने वाली स्थित हैं जिससे अप्रोच नया रास्ता भूमि खसरा नम्बर 3060 के दक्षिण दिशा में नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी 10 फुट चौड़ा रास्ता उपलब्ध हो जाता है। आवेदक अपने काश्त की भूमि व रिहायसी व पशुओं के लिए बने कच्चे छान छप्पर में आसानी से आ जा सकता हैं। आवेदक को भूमि खसरा नम्बर 3060 के दक्षिणी हिस्से से नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता बाबत विकल्प नहीं हैं जिससे रास्ता उपलब्ध हो सके। इस कारण श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया है कि आवेदक को अपने कब्जा काश्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3059 में आने जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 3060 में से खसरा नम्बर भूमि 3060 के दक्षिणी हिस्से में नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी स्थान तक 10 फुट चौड़ा रास्ता आवेदक के लिए आने जाने के लिए कायम किया जाकर अनावेदक नं. 17 को आदेशित किया जावे कि वे भूमि खसरा नम्बर 3060 के दक्षिणी हिस्से में नजरी नक्शा में दर्शित ए से बी स्थान 10 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के लिए आदेशित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। अप्रार्थी नं0 12 ने इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3/3 व 5 लगायत 10 ने जबाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर नया 3040, 3041, 3042, 3043, 3056, 3059 का रकबा क्रमशः 0.24 है0, 0.40 है0, 0.34 है0, 0.21 है0, 0.85 है0, 0.68 है0 कुल किता 6 खसरा नम्बरान की कुल भूमि 2.72 है0 की खातेदारी आवेदक व अनावेदकगण नम्बर 5 लगायत 14 के नाम दर्ज शुदा है। आवेदक का यह कथन बिल्कुल गलत व बेबुनियाद हैं कि भूमि खसरा नम्बर नया 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3060, 3062, 3410/3061 का रकबा क्रमशः 1.08 है0, 0.61 है0, 0.38 है0, 0.03 है0, 0.35 है0, 0.25 है0, 0.21 है0, 0.04 है0, 0.10 है0, 0.67 है0, 0.04 है0 की कुल भूमि 3.76 है0 की खातेदारी कब्ज काश्त अनावेदक नम्बर 1 लगायत 14 की है और मौके पर आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 14 ने मौखिक बंटवारा कर रखा है। जबकि सही स्थिति यह है कि खाता संख्या 143 में दर्ज 11 खसरा नम्बरान की कुल भूमि 3.76 है0 की खातेदारी अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज शुदा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:29:34 IST
Reason: SelfAttested

और शामलाती रूप से काबिज काश्त है। जिसमें अनावेदकगण संख्या 5 लगायत 14 का कोई ताल्लुक नहीं है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 जिस रूप से दर्ज है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की धारा 3 जिस रूप से दर्ज है अस्वीकार है। आवेदक व अनावेदकगण 5 लगायत 14 ने अपनी भूमि का विभाजन नहीं कर रखा है। अनावेदकगण 5 लगायत 11 व आवेदक की शामलाती खातेदारी भूमि बाबत विभाजन हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में वाद संख्या 2026/2004 लम्बित जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.04.2015 है। जिसमें मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु स्थगन आदेश प्रभावी है। आवेदक के आने जाने हेतु पगडण्डी मौजूद है। जो खसरा नम्बर 3043, 3042, 3044, 58 की सीमा से होता हुआ आवेदक व अनावेदकगण संख्या 5 लगायत 14 के खेत खसरा नम्बर 3059 में से होती हुई आगे खेतों में चली जाती है। जिसका नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। आवेदक का यह कथन भी बिल्कुल गलत व आधारहीन है कि खसरा नम्बर 3060 रकबा 0.10 है. का कब्जा मौखिक बंटवारा अनुसार अनावेदक संख्या 1 के पास है जबकि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 का आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ है शामलाती है। प्रार्थना पत्र की धारा 4 गलत होने से अस्वीकार है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी काश्त के खसरा नम्बर 3060 में मुख्य शाहजहांपुरी सड़क के समानान्तर पक्का निर्माण शुदा मकान व टीनशेड बना हुआ है जिसमें अनावेदक संख्या 2 आबाद है। अगर अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 के खसरा नम्बर 3060 में से कोई रास्ता निकाल दिया जाता है तो अनावेदक संख्या 2 के आवासीय मकान को तोड़ना पड़ेगा। प्रार्थना पत्र की धारा 5 गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक का यह कथन बिल्कुल गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक का यह कथन बिल्कुल गलत व बेबुनियाद है कि खसरा नम्बर 3060 के दक्षिणी हिस्से से नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी रास्ता के अलावा कोई रास्ता नहीं हो। जबकि सही स्थिति यह है कि आवेदक व अनावेदकगण संख्या 5 लगायत 14 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3043, 3042, 3044, 58 की सीमा से होता हुआ खसरा नम्बर 3059 की पूर्वी सीमा से होता हुआ एक पगडण्डी तीन फीट चौड़ी आगे के खेतों में चली जाती है। जिसको जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में ए.बी.सी.डी. से दर्शाया गया है। अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय अजमेर में तथा श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का अपने प्रार्थना पत्र में लोप रखकर श्रीमान न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की है। अर्थात क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आया है। अनावेदकगण 5 लगायत 11 व आवेदक तथा अनावेदकगण 12, 13, 14 के मध्य माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु वाद संख्या 2026/2004 विचाराधीन रहते हुए स्थिति श्रीमान न्यायालय से छुपायी है. जिसमें स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.04.2015 तक प्रभावी है। आवेदक ने खसरा नम्बर 3059 को अपना स्वयं का बताया है जो पूर्णतया उक्त निर्णय के विपरीत तथ्य है। श्रीमान न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण 1 लगायत 4 के मध्य भी संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु वाद संख्या 28/14 विचाराधीन है जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र क्रमांक 281/2014 प्रभावी है। जिसका भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र अ० धारा 251 (क) में लोप रखा है।

अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक अनावेदकगण के खेत खसरा नम्बर 3060 में से कोई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है आवेदक के आने जाने हेतु रास्ता मौजूद है जिसको जवाब प्रार्थना पत्र के साथ ... बिन्दुओं से दर्शाया गया है तथा प्रार्थना पत्र झूठा व निराधार होने से खारिज होने योग्य ... मय खर्चा हर्जा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:29:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका जाचं रिर्पोट दिनांक 05.06.2015 एवं 09.03.2022 प्राप्त हुई।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3059 में आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं हैं। अतः तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त नई मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 09.03.2022 के अनुसार आवेदक को अपने कब्जा काश्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3059 में आने जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 3060 में से खसरा नम्बर भूमि 3060 के दक्षिणी हिस्से में नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी स्थान तक 10 फुट चौड़ा रास्ता कायम किया जावे। तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त नई मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 09.03.2022 सही हैं, इसके अनुसार राजकीय रास्ता कायम किया जावे। प्रार्थी उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले में प्रतिफल अदा करने को तैयार है।

बहस के दौरान अप्रार्थीगण 1, 2, 3/3 व 5 लगायत 10 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा लिखित बहस पेश कर कथन किया कि आवेदक व अनावेदकगण ने अपनी भूमि का विभाजन नहीं कर रखा है। अनावेदकगण 5 लगायत 11 व आवेदक की शामलाती खातेदारी भूमि बाबत विभाजन हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में वाद संख्या 2026/2004 लम्बित हैं। जिसमें मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु स्थगन आदेश प्रभावी है। आवेदक के आने जाने हेतु पगडण्डी मौजूद है। जो खसरा नम्बर 3043, 3042, 3044, 58 की सीमा से होता हुआ आवेदक व अनावेदकगण संख्या 5 लगायत 14 के खेत खसरा नम्बर 3059 में से होती हुई आगे खेतों में चली जाती हैं। जिसका नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी काश्त के खसरा नम्बर 3060 में मुख्य शाकम्भरी सड़क के समानान्तरण पक्का निर्माण शुदा मकान व टीनसैड बना हुआ है, जो तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त नई मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 09.03.2022 से स्पष्ट हैं। अगर अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 के खसरा नम्बर 3060 में से कोई रास्ता निकाल दिया जाता है तो अनावेदक संख्या 2 के आवासीय मकान को तोड़ना पड़ेगा। अनावेदकगण 5 लगायत 11 व आवेदक तथा अनावेदकगण 12, 13, 14 के मध्य माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु वाद संख्या 2026/2004 विचाराधीन है, जिसमं स्थगन आदेश प्रभावी है। आवेदक ने खसरा नम्बर 3059 को अपना स्वयं का बताया है बल्कि श्रीमान न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण 1 लगायत 4 के मध्य भी संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु वाद संख्या 28/14 विचाराधीन है जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र मु0नं0 281/2014 प्रभावी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र एवं मौका जांच रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये कस्बा उदयपुरवाटी में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 3059 में आने जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 3060 के दक्षिणी हिस्से में नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी स्थान तक 10 फुट चौड़ा रास्ता चाहा हैं। खसरा नम्बर 3040, 3041, 3042, 3043, 3056, 3059 की खातेदारी शामलाती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर खसरा नम्बर 3059 के लिये प्रार्थी ने रास्ता चाहा है। [illegible] भूमि का विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद इस न्यायालय में विचाराधीन हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का [illegible] विभाजन नहीं हुआ है। शामलाती खातेदारी की भूमि में एक बहुत ही अल्प हिस्से के लिये एक सहखातेदार द्वारा अविभाजित विशिष्ट भू–भाग की भूमि के लिये रास्ता की मांग विभाजन के बाद कर सकता हैं। खसरा नम्बर 3060 में जहां से रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:29:34 IST
Reason: SelfAttested

चाहा गया हैं, उस स्थान पर तहसीलदार उदयपुरवाटी की मौका रिपोर्ट अनुसार दीवार एवं टीन सेड बना हुआ हैं। आवेदक भूमि खसरा नम्बर 3059 में छान छप्पर व बाड़ा बनाकर रह रहा है। उक्त भूमि को कृषि प्रयोजन हेतु काम में नहीं ले रहा हैं। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

15/3/22

उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/3/22

उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:29:34 IST
Reason: SelfAttested